



झारखण्ड सरकार

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।**वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002**

e-mail-pccfjhk@jharkhandmail.gov.in 0651-2481909 (T) 2480413 (F)

पत्रांक:- 22 पी0 2 (2) 7 / 2016

दिनांक:-

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।**विषय :-** सी0सी0एल0 की कोनार वाशरी एवं अन्य परियोजना हेतु 68.40 हे0 वन भूमि
अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**प्रसंग -** 1. वन विभागीय ज्ञापांक वनभूमि-03/2016 3582 व0प0 दिनांक 29.08.2017
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड,
राँची का पत्रांक 979 दिनांक 18.10.2017 एवं पत्रांक 1227 दिनांक 29.12.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र-1 के साथ संलग्न भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 8-42/2017-FC दिनांक 27.07.2017 द्वारा की गई
पृच्छा के आलोक में 8 बिन्दुओं पर वांछित प्रतिवेदन नाभिक पदाधिकारी के पत्रांक 979 दिनांक
18.10.2017 (छायाप्रति सानुलग्नक संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई थी।तदोपरांत इस कार्यालय के पत्रांक 4789 दिनांक 03.11.2017 द्वारा वांछित निराकरण
प्रतिवेदन नाभिक पदाधिकारी के पत्रांक 1227 दिनांक 29.12.2017 (छायाप्रति सानुलग्नक संलग्न) द्वारा
प्राप्त हुआ है।नाभिक पदाधिकारी के पत्रों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों की 3 प्रतियाँ संलग्न करते हुए अनुरोध
है कि उक्त समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

अनु0-यथोक्त।

(प्रतिवेदन तीन प्रतियों में।)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 22 पी0 2 (2) 7 / 2016 -535

दिनांक- 06.02.18

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची को उनके प्रासंगिक पत्रों के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 1229

दिनांक:- 29.12.17

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- सी0सी0एल0 की कोनार वाशरी परियोजना हेतु 68.40 हे0 वनभूमि
अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 4789 दिनांक 03.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा की गयी पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय
मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 2477 दिनांक 26.12.2017 (छायाप्रति संलग्न) से प्राप्त हुआ
है, जिसे चार प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

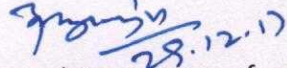
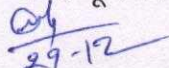
ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1227

दिनांक 29.12.17

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28.12.17
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

29-12

ole



कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO - 827013

☎ : - 06542-265440

Email - bokarorcfc@gmail.com

142

पत्रांक : 2477 /

दिनांक : 26/12/2017 /

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

—सह—

कार्यकारी निदेशक,

बंजर भूमि विकास बोर्ड,

झारखण्ड, राँची

विषय :- सी0सी0एल0 की कोनार वाशरी एवं अन्य परियोजना हेतु 68.40 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 1017, दिनांक 03.11.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि दिनांक 07.11.2017 को समीक्षा बैठक के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के द्वारा विषयगत वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को कतिपय बिन्दुओं पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था। जिसके आलोक में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो ने अपने पत्रांक 2512 दिनांक 20.12.2017 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो के पत्रांक 3202, दिनांक 16.12.2017 द्वारा प्रेषित प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बिन्दुवार प्रतिवेदन समर्पित किया गया है

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो से प्राप्त बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन की पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
बोकारो।

URGENT

नितीश कुमार

28/12/17

28/12/17





कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक-‘ए’ पुख्तिया रोड़, चास, बोकारो

Email – cfbokaro@rediffmail.com, cfbokarocir@jharkhandmail.gov.in मो० - 8987790301

पत्रांक : 2512, दिनांक : 20/12/2017

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :- सी0सी0एल0 की कोनार वाशरी एवं अन्य परियोजना हेतु 68.40 हे० वनभूमि
अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र
संख्या-F.No. 8-42/2017-F.C, दिनांक जुलाई, 2017 एवं वन संरक्षक, बंजर
भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1017, दिनांक 03.11.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि दिनांक
07.11.2017 को समीक्षा बैठक के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के द्वारा
विषयगत वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को कतिपय बिन्दुओं
पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन
प्रमण्डल के पत्रांक 3202, दिनांक 16.12.2017 के द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बिन्दुवार
प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	पृच्छा बिन्दु	प्रयोक्ता अभिकरण का प्रतिवेदन
1	2	3
(i)	Justification for requirement of 68.40 ha. of forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में 93.58 हे० वनभूमि का प्रस्ताव समर्पित किया गया था। वन विभाग के वरीय पदाधिकारी के निरीक्षण उपरांत विमर्श के आलोक में उनके द्वारा प्रस्ताव में अपयोजन होने वाला वन भूमि में कटौती कर 68.40 हे० वनभूमि का अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह बताया गया है कि “MoEF&CC desired through Generic ToR that siting of washery is critical considering its environmental impacts. Preference should be given to the site located at pit head; in case such a site is not available, the site should be as close to the pit head as possible ”. उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव समर्पित किया गया है।
(ii)	Justification for naming the proposal as Konar Washery without the mention of FBC complex (Thermal Plant).	सर्व प्रथम जब 93.58 हे० वनभूमि का प्रस्ताव समर्पित किया गया था, तब प्रस्ताव में washery complex एक component था एवं तदनुसार यह प्रस्ताव कोनार वाशरी के

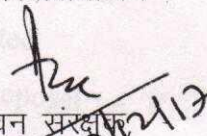


क्र० सं०	पृच्छा बिन्दु	प्रयोक्ता अभिकरण का प्रतिवेदन
1	2	3
		नाम से प्रस्तावित किया गया था एवं पत्राचार की गई थी। यह प्रस्ताव को संशोधन कर प्रस्ताव समर्पित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण का कहना है कि प्रस्ताव में निरंतरता रखने तथा विलम्बता को avoid करने हेतु प्रस्ताव के नाम में बदलाव नहीं किया गया है।
(iii)	Stage-II compliance of all proposals in the leased area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि Konar OCP (288.26 Ha.), Khasmahal OCP (174.48 Ha.) एवं Khasmahal Phase-II OCP (26.94 Ha.) का स्टेज-II में लगाये गये शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है।
(iv)	Brief description of the layout within 3km of the proposed area of diversion.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रतिवेदन में संक्षिप्त विवरणी एवं मानचित्र समर्पित किया गया है।
(v)	The Cost benefit analysis as per the new guideline etc. to be submitted.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिनांक 01.08.2017 को निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में Cost benefit analysis report समर्पित किया गया है।
(vi)	A write-up on FBC to be incorporated as a component of the proposal i.e. Konar Washery (68.40 Ha.) etc.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रतिवेदन में FBC based Thermal Power Plant की उपयोगिता के संबंध में विस्तृत रूप से वर्णन कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

अतः प्राप्त वस्तुस्थिति प्रतिवेदन की छः प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि यथोचित अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


 वन संरक्षक
 प्रादेशिक अंचल, बोकारो।
 20/12/17

139

OFFICE OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER,
BOKARO FOREST DIVISION, BOKARO
E-mail : dfobokaro@jharkhandmail.gov.in Phone/Fax No : +91-6542-265142

Letter no.

3202

Date.

16/12/2017

To,

The Conservator of Forest,
Territorial Circle, Bokaro.

Subject: -

With regard to diversion of 68.40 hectares of forest land for CCL Konar Washery, B& K Area for seeking prior approval under section-2 of Forest (Conservation) Act, 1980 in the State of Jharkhand.

Reference: -

1. MoEF & CC letter no. F. No. 8-42/2017-FC dated July, 2017.
2. Letter no. 1017 dated 03.11.2017 of Conservator of Forest, Waste Land Development Board, Jharkhand.
3. Letter no. 22P2(2)7/2016-4789 dated 03.11.2017 of DFO, Direction and Administration, Ranchi.

Sir,

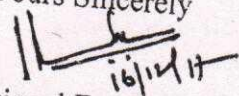
On 07.11.2017 during the presentation given before PCCF & HoFF, Jharkhand by CCL the project proponent for diversion of 68.40Ha. of forest land for establishing Konar Washery and FBC plant a few observation were made and the corresponding clarification were sought;

- (i) Justification for requirement of 68.40 ha. of forest land.
- (ii) Justification for naming the proposal as Konar Washery without the mention of FBC complex (Thermal Plant).
- (iii) Stage-II compliance of all proposals in the leased area.
- (iv) Brief description of the layout within 3km of the proposed area of diversion.
- (v) The Cost benefit analysis as per the new guideline etc. to be submitted.
- (vi) A write-up on FBC to be in-corporate as a component of the proposal i.e. Konar Washery (68.40Ha.) etc.

And as per the queries and the user agency submitted the clarifications vide letter no. CCL/DGM-HOD(E&F)/2017/1226 dated 11.12.2017 which is being forwarded for further action.

Annexure:-Compliance of CCL (in 07copies).

Yours Sincerely



Divisional Forest Officer,
Bokaro Forest Division, Bokaro.